कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।

पत्रांक 22166–67 /2020–21 दिनांक 04/11/2020

प्रबन्धक
द इन्नोवेटिव एकेडमी,जेहरा पिपरी
कप्तानगंज आजमगढ़।

विषय–: द इन्नोटिव एकेडमी को स्थाई मान्यता के सम्बन्ध मे।

कार्यालय के पत्रांक अस्थाई मान्यता 5469–73/2013–14 दिनांक 12–08–2013 के द्वारा मान्यता (कोड 2013/41) के माध्यम से दिनांक 01–07–2012 से 30–06–2015 तक तीन वर्ष हेतु अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है। इस अवधि मे मान्यता की शर्तो का उल्लंघन की कोई शिकायत आपके विद्यालय के विरूद्व प्राप्त नही हुई है। नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी। इस अवधि मे यदि मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय स्थाई मान्यता प्राप्त है। उक्त अवधि मे आपके विद्यालय के विरूद्व मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होने के कारण आपके विद्यालय की अस्थाई मान्यता स्वतः स्थाई हो गई है।

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

पृ0स0 /तददिनांक
प्रतिलिपि–: निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
2–कार्यालय प्रति

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आजमगढ़।

Scanned with CamScanner

(8)

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

अंग्रेजी माध्यम

पत्रांक- 5469-73 /२०१३-१४ दिनांक- 12-8-2013

सेवा में, सजय कुमार राय
प्रबन्धक,
इनोवेटिव एकेडमी जेहरा पिपरी बिलरियागंज,
आजमगढ़।

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००६ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० के नियम १५ के उप नियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं, इनोवेटिव एकेडमी जेहरा पिपरी बिलरियागंज, आजमगढ़ को दिनांक-०१ जुलाई, २०१२ से दिनांक-३० जून, २०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल०केजी० से कक्षा ०८ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अधीन है:-

१- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००६ (उपाबन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० (उपाबन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।

३- विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कम्जोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४- पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

६- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है , और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

७- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः-----२/-